प्रति,

श्रीमान् जन सूचना अधिकारी महोदय
विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन
रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

विषयः- "सूचना का अधिकार" अधिनियम 2005 के तहत जानकारी बावत् ।

महोदय,

"सूचना का अधिकार" अधिनियम 2005 के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर (स्पष्टीकरण) की सख्त आवश्यकता है, प्रश्न है –

(1) वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 में केन्द्र सरकार (अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार) के उस आदेश की कॉपी उपलब्ध करायी जावे जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रमो को पेंशन खत्म या बन्द करने का आदेश जारी किया था, की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये।

(2) वर्ष 2007 में पेंशन सम्बंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार एवं केन्द्र सरकार के उपक्रमों को पेंशन बहाल करने का निर्णय दिया था, की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये ।

सन् 2007-2008 का वह आदेश जिसमें विद्युत मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ उपक्रमो को पुनः पेंशन बहाल करने का आदेश जारी किया था, की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये ।

"सूचना का अधिकार" अधिनियम 2005 के तहत 10 रू. का पोस्टल ऑर्डर क्रं. 47F 646195 संलग्न है ।

लीलाबाई

दिनाँक – 22/7/2019

प्रार्थी
लीला बाई चन्द्रा, पति स्व. श्री हरिचरण (कर्म.सं.25162)
ग्राम- कटौद, पो.- कांसा, तह. डभरा, जिला
जांजगीर चांपा छत्तीसगढ पिन नं. 495688,
मो.नं. 8966036170

E-313/29/2019/Adm-I
26/7/19

US(RTI)

US(Coord)
All PSU dealing Division MOP
Supreme Court
SO(RTI)
22/7/19